# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

| अपील संख्या | रजि0नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15/110/2024 | 2024/243 | 09.10.2024 | 22.04.2025 |

1. कैलाश पुत्र गंगासहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री चन्द्रशेखर शर्मा, —वकील प्रार्थी
02—श्री दीपक मीणा (राजकीय अभिभाषक) —वकील अप्रार्थी

## —:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर के प्रकरण बउनवान सरकार बनाम कैलाश को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 30.09.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि भू अभिलेख निरीक्षक वृत भूडियावास द्वारा अप्रार्थी के यहां एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पटवारी हल्का दुहार चौगान बनाम कैलाश पुत्र गंगासहाय जाति बागडा ब्राहमण निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी मुकदमा नंबर 171 दिनांक 22—8—2024 एवं मुकदमा नबर 174 दिनांक 17—9—2024 प्रकरण विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण को अनुसार ग्राम दुहार चौगान के सिवायचक आराजी खसरा नंबर 16 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.06 है, में से 0.03 है. पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर खरीफ फसल बाजरा बोयी थी। प्रार्थी को उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा नोटिस कमांक 554 दिनांक 30—9—24 प्रेषित किया गया है। व दिनांक 4—10—2024 को युक्तिसंगत जवाब पेश नही होने पर एफ आई आर दर्ज करा कर कार्यवाही की बाबत नोटिस भेजा है जिस नोटिस का जवाब सही तथ्यो के आधार पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के यहां दिनांक 4—10—24 को प्रस्तुत कर दिया है। उक्त भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है तथा ना ही प्रार्थी के नाम कोई भूमि खसरा नंबर 16 के आस पास में स्थित है इसलिये अतिक्रमण से लगती हुई भूमि के खातेदारी में ही नही है तो प्रार्थी का अतिकमण होना संभव ही नही है। इसलिये आप द्वारा उक्त नोटिस वास्तविक तथ्यों की जानकारी के बगैर दिया है जो प्रार्थी के उपर आप द्वारा दिया गया नोटिस गैरकानूनी है तथा इसलिये आप द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी कार्यही गेरकानूनी होगी इसलिये नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त गैर मुमकिन रास्ता आप द्वारा अंकित किया है यह रास्ता आज दिनांक से पूर्व कभी भी प्रार्थी जो कि करीब 60 साल की आयु का है ने अपने जीवनकाल में मौके पर नही देखा ना ही उक्त रास्ते को कभी किसी ने काम में लिया तथा ना ही उक्त रास्त की किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता है। क्योंकि सभी आस पास के खातेदारो के पास वैकल्पिक रास्ते कायम है इसलिये यह रास्ता मौके पर कभी रहा ही नही तो अतिक्रमण का नोटिस गलत दिया है। उक्त रास्ते बाबत एक दावा न्यायालय एस डी एम साहब थानागाजी में

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

बअनुवान महादेवी बनाम राज० सरकार का चल रहा हैं जिसमें आगामी पेशी 4–10–24 नियत है जिसमें वादी श्रीमति महादेवी द्वारा स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त रास्ता बंदोबस्त विभाग द्वारा संवत 2028 में बिना किसी हक व अधिकार के एवं बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश से रास्ता कायम कर दिया जिसे कलमजन कराने बाबत दावा विचाराधीन है। इसलिये भी उक्त नोटिस गलत व मौके के विपरीत दिया है जब तक कोे सक्षम न्यायालय द्वारा विवादित रास्तें के संबंध में कोई आदेश ना हो तक तक प्रार्थी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नही की जावे।

उक्त न्यायालय एस.डी.एम. थानागाजी में विचाराधीन प्रकरण महादेवी वनाम राज० सरकार में महादेवी के पास स्वयं की खातेदारी की भूमि जितनी है उस पर ही काविज है उससे एक इंच अधिक भूमि पर काबिज नही है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आप द्वारा उक्त कार्यवाही आपके अधिनस्थ कर्मचारी सहायक कानूगो भारतभूषण शर्मा व उनके रिश्तेदार हल्का पटवारी दुगार चौगान महेन्द्र कुमार शर्मा के बहकावे में आकर व साज बाज होकर की जा रही है क्योंकि भारतभूषण शर्मा के पिता के नाम गेरमुमकिन रास्ता 51 के पूर्व में आराजी स्थित है जिसमें भारत भूषण व उनके पिता द्वारा उनकी स्वयं की भूमि से अधिक भूमि पर काबिज है व रास्ता की भूमि को अपनी खातेदारी की भूमि में मिला कर अतिक्रमण किया हुआ है लेकिन आपने वास्तविक अतिकमीयो के खिलाफ कार्यवाही ना करते हुये प्राथी व अन्य लोगो को परेशान किया जा रहा है। जो कतई गलत व गैरकानूनी है एवं आपको भली भांति विदित है कि उक्त आराजी बाबत एक प्रार्थना पत्र भू प्रबंध अधिकारी के पैमाईश बाबत विचाराधीन है जिसमें आपके द्वारा येन केन प्रकरेण पैमाईश नही करवाने बाबत गलत रिर्पोट कर पैमायश को रोकना चाहते है जबकि भू प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश होने पर वास्तविक स्थिति आ जायेगी एवम यह भी साबित हो जावेगा कि उक्त भूमि पर किसके द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इसलिये भू प्रबंध विभाग से पैमायश कराने में सहयोग कर वास्तविक स्थिति पटल पर लाया जाना उचित होगा।

अप्रार्थी द्वारा एलानिया तोर पर कहा गया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ इस नोटिस की कार्यवाही करूंगा और तुम्हे जेल भिजवा कर रहूंगा क्योंकि मेरे उपर भारी दबाव बना हुआ है ओर तुमने गलत जगह पंगा ले लिया है। इसलिये प्रार्थी को श्रीमान तहसीलदार साहब से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है इसलिये प्रार्थी उक्त प्रकरण की सुनवाई दीगर अधिकारी से करवाना चाहता है जिस हेतु यह दरख्वास्त पेश है। तहसीलदार महोदय श्री मोहित पंचोली के द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर मनमाने तौर पर सुनवाई की जा रही है और पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रख कर मुकदमें का जल्दबाजी में निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। तहसीलदार महोदय श्री मोहित पंचोली ऐन केन प्रकरेण प्रकरण में प्रार्थी के खिलाफ मनमानी कार्यवाही कर जेल भिजवाने पर उतारू है। यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। मिन प्रार्थी को तहसीलदार महोदय थानागाजी श्री मोहित पंचोली पर बिलकुल भी विश्वास नही रहा है कि वो उक्त प्रकरण में सही व निष्पक्ष न्याय करेगें। न्याय का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय ही नही मिलना चाहिये बल्कि उसे यहलगना भी चाहिये कि उसको सही व निष्पक्ष न्याय मिलेगा।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली बअनुवान नोटिस वनाम कैलाश नोटिस कमांक राजस्व/2024/554 दिनांक 30–9–2024 तहसीलदार थानागाजी की सुनवाई हेतु दीगर अधिकारी से कराने हेतु मुन्तकिल फरमाने की कृपा करे। दोरान विचारण मुकदमा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थगित रखने के लिए पाबंद किया जावे। खर्चा मुकदमा प्राथी को अप्रार्थी से दिलाया जावें व अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो, बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी पारित की जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील (राजकीय अभिभाषक) अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐलानिया बयान नहीं किया गया कि उक्त वाद का निर्णय उनके पक्ष में हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य झूठे एवं मनगढंत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। तहसीलदार थानागाजी द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि न्यायालय तहसीलदार थानागाजी में पटवारी हल्का दुहार चौगान के द्वारा एक राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट पेश की। जिसका मुकदमा नम्बर 171/2024 दर्ज किया गया, जिसकी जांच हेतु भू०अभिलेख निरीक्षक वृत भूडियावास द्वारा इस आशय की पेश की है कि ग्राम दुहार चौगान के आराजी खसरा नम्बर 16 रकवा 0.01 है. किस्म गै०मु० रास्ता पर सम्वत् 2081 फसल खरीफ में बाजरा बोकर एवं खसरा नम्बर 51 रकबा 0.01 है. किस्म गै०मु० रास्ता पर खम्भी एवं तारबन्दी कर अतिक्रमण किया गया है। इस पर भू० अभिलेख निरीक्षक भूडियावास से जांच करवाई गई भू० 1 अभिलेख निरीक्षक वृत भूडियावास ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 02.09.2024 में बताया कि उनवानी प्रकरण ग्राम दुहार चौगान के आराजी खसरा नम्बर 51 एवं 16 किस्म गै०मु० रास्ता सिवायचक भूमि से संबंधित था जिस पर पटवारी हल्का के साथ मौका देख गया मौके पर आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.20 किस्म गै०मु० रास्ता मे से 0.01 है० पर अप्रार्थी संख्या 1 कैलाश पुत्र गंगासहाय जाति बागडा ब्राहम्ण व 0.01 है० पर अप्रार्थी संख्या 2– मातादीन प्रत्र गंगासहाय बागडा ब्राहम्ण द्वारा खम्भी एवं तारबन्दी कर अतिक्रमण किया गया जिसकी पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 के तहत रिपोर्ट की है, जो सही है, तथा खसरा नम्बर 16 रकबा 0.06 है. किस्म गै०मु० रास्ता में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 धारा 91 की रिपोर्ट 0.01, 0.01 है0 अतिक्रमण की रिपोर्ट की गई जो मौके अनुसार सही नहीं है। पटवारी हल्का को हिदायत दी गई की ख0नं0 16 रकबा 0.06 है. किस्म गै०मु० रास्ता पर अप्रार्थी संख्या 1 कैलाश पुत्र गंगासहाय बागडा ब्राहम्ण एवं अप्रार्थी संख्या 2 मातादीन पुत्र गंगासहाय बागडा ब्राह्मण द्वारा सम्पूर्ण रकबा पर फसल काश्त कर कब्जा किया हुआ है। जिसकी तत्काल धारा 91 की रिपोर्ट. प्रस्तुत करनें के पटवारी हल्का को निर्देश दिये गये उसके पश्चात पटवारी हल्का दुहार चौगान ने धारा 91 एल.आर.एक्ट की पुनः रिपोर्ट दिनांक 03.09.2024 को करके दिनांक 17.09.2024 को कार्यालय में रिपोर्ट पेश की कि ग्राम दुहार चौगान के आराजी खसरा नम्बर 16 रकवा 0.02 है० किस्म गै०मु० रास्ता पर बाजरा बोकर अप्रार्थी संख्या 2 मातादीन पुत्र गंगासहाय बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम दुहार चौगान द्वारा अतिक्रमण कर रिपोर्ट पेश की जिसका मुकदमा नम्बर 174/2024 है। उक्त मुकदमा दर्ज करनें के बाद अप्रार्थी को धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज कर नोटिस दिया गया। जिसके संदर्भ में अप्रार्थी कैलाश की ओर से एडवाकेट सुरेशचन्द, समीक गंगावत, एवं मनीष स्वामी नें वकालतनामा पेश किया एवं जवाब के लिए अवसर चाहा अवसर दिया गया। उसके पश्चात भू०अभिलेख निरीक्षक वृत्त भूडियावास को फसल को कब्जेराज लेने के निर्देश दिये गये। भू०अ० निरीक्षक भूडियावास ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 24.09.2024 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि आज दिनांक 24.09.2024 को श्रीमान तहसीलदार थानागाजी के आदेश कमांक/राजस्व/2024/549–550 दिनांक 24.09.2024 की पालना में ग्राम दुहार चौगान के आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 0.06 है. किस्म ०म० रास्ता पर बहमराह पटवारी हल्का के साथ बाजरा की फसल का मौका जांच हेतु पहुंचे मौके पर न्यायालय हाजा में धारा 91 के तहत विचाराधीन प्रकरण में अतिकमियों द्वारा ग्राम दुहार चौगान के खसरा नम्बर 16 रकबा 0.06 है. पर खडी बाजरा की फसल को काट ले गये मौके पर कटी फसल के अवशेष मौजूद है। आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया उसके उपरान्त अप्रार्थी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

कैलाश पुत्र गंगासहाय बागडा ब्राहम्ण को फसल काटनें के संबंध में क्रमांक राजस्व/2024/554 दिनांक 30.09.2024 नोटिस जारी कर दिया गया। बिन्दू संख्या 02 के संदर्भ में कथन किया गया है कि अप्रार्थी को इस कार्यालय के द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2024/554 दिनांक 30.09.2024 को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी में दिनांक 04.10.2024 को जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। बिन्दू संख्या 03 के संदर्भ में कथन किया कि अप्रार्थी ने बताया कि उक्त भूमि से अप्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं बताया है। जबकि रिपोर्ट पटवारी हल्का दुहार चौगान एवं मू०अभिलेख निरीक्षक भूडियावास के अनुसार अप्रार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। अप्रार्थी का कथन गलत है। जबकि अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना कानूनी है। बिन्दू संख्या 04 के संदर्भ में कथन किया है कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गै०मु० रास्ता दर्ज है जबकि उक्त रास्ता अन्य काश्तकारों के आने–जानें के काम आता है। उक्त रास्ते से पूर्व में भी अतिक्रमण अप्रार्थीगण का हटवाया गया था। बिन्दू संख्या 05 के संदर्भ में कथन किया है कि रास्ते बाबत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में महादेवी बनाम सरकार का दावा पेश करना अप्रार्थी द्वारा बताया गया जो अप्रार्थी का कानूनी अधिकार है। बिन्दू संख्या 06 के संदर्भ में कथन किया है कि उक्त भूमि के संदर्भ में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में महादेवी बनाम सरकार का दावा अप्रार्थी द्वारा दावा करना बताया गया एवं उक्त कार्यवाही अधीनस्थ सहायक कानूनगो श्री भारतभूषण शर्मा उनके रिश्तेदार पटवारी हल्का दुहार चौगान श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पटवारी के बहकावे में आकर कार्यवाही करना बताया गया जो कि गलत है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गिरदावर, पटवारी की जांच रिपोर्ट अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बिन्दू संख्या 07 के संदर्भ में कथन है कि अप्रार्थी का कथन बिल्कुल गलत है, न्यायालय (तहसीलदार थानागाजी) द्वारा नियमानूसार कार्यवाही की जा रही है। बिन्दू संख्या 08 के संदर्भ में कथन किया है कि अप्रार्थी का कथन बिल्कुल गलत है उक्त प्रकरण में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। बिन्दू संख्या 09 के संदर्भ में कथन किया है कि अप्रार्थी का कथन बिल्कुल गलत है, प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बिन्दू संख्या 10 के संदर्भ में कथन किया है कि अप्रार्थी का कथन बिल्कुल गलत है। नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बिन्दू संख्या 11, 12, 13 कानूनी है। बिन्दू संख्या 14 के संदर्भ में कथन किया है कि अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जानें योग्य है। प्रकरण में किसी अधिकारी/कर्मचारी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)